राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	454/2022 राम निरंजन माथुर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।	21.02.2022	श्री देवकृष्ण पुरोहित, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	455/2022 बजरंग सिंह			

आदेश की दिनांक : 08.09.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 454/2022 राम निरंजन माथुर बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 1200–2050, 1400–2600 एवं 1640–2900 दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मलेरिया सर्विलांस वर्कर के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में हुई थी। अधिसूचना दिनांक 16.07.1992 के द्वारा कई पदों को एक साथ जोड़कर मल्टी पर्पज हैल्थ वर्कर (पुरूष) सामान्य वेतन श्रृंखला का पदनाम दिया गया। परंतु अपीलार्थी को उचित रूप से चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। जबकि 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर 1200–2050, 1400–2600, 1640–2900 अपीलार्थी के समान मामले में अन्य कार्मिकों को दिया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा भी ऐसे

मामलों में अपीलें स्वीकार की गई। अधिकरण के आदेश को राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4627/2005 को चुनौती दी गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया और अधिकरण के आदेश को उचित माना गया और इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 17.12.2015 गोविन्द दास चारण बनाम राज्य में भी कार्मिकों को उक्त चयनित वेतनमान दिया जाना उचित बताया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त चयनित वेतनमानों का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 1200–2050, 1400–2600 एवं 1640–2900 दिया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि राज्य सरकार द्वारा पद रिक्त न होने पर कार्मिकों को पदोन्नति नहीं मिलने के कारण परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के आधार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अपीलार्थी का पद स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष का पद हो गया, जो संवर्ग में संशोधन के आधार पर किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी उक्त पद के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान 975–1720, 1025–1800 एवं 1200–2050 प्राप्त करने का हकदार है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2064/2017 बजरंग सिंह व अन्य दायर की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.05.2017 की अनुपालना में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 11.12.2017 के द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान क्रमशः 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 स्वीकृत किया जा चुका है। कर्मचारी पूर्व में ही 27 वर्ष पर कोर्ट के निर्णयानुसार तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति मलेरिया सर्विलांस वर्कर के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में हुई थी। अधिसूचना दिनांक 16.07.1992 के द्वारा कई पदों को एक साथ जोड़कर मल्टी पर्पज हैल्थ वर्कर (पुरूष) सामान्य वेतन श्रृंखला का पदनाम दिया गया। परंतु अपीलार्थीगण को उचित रूप से चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान 1200–2050, 1400–2600 एवं 1640–2900 नहीं दिए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2064/2017 बजरंग सिंह व अन्य दायर की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.05.2017 की अनुपालना में अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.12.2017 के द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान क्रमशः 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 स्वीकृत किया जा चुका है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त चयनित वेतनमानों का लाभ प्रदान किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थीगण के उक्त तर्क में हम कोई बल नहीं पाते हैं। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अपीलार्थीगण यदि विभाग को उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन देना चाहें तो अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 454/2022 राम निरंजन माथुर बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 455/2022 बजरंग सिंह में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य